न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 389/2020 आवन्टन निरस्त

1. सुवालाल पुत्र चन्दा जाट निवासी रानीखेडा माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. जंगलराम पिता राजूलाल बैरवा निवासी इन्दोकडा की झुपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.10.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम नाहरगढ तहसील माण्डलगढ की आ.न. 350,558,622 किता 3 रकबा 15.00 बीघा भूमि को विपक्षी को 15 वर्ष की आयु में दिनांक 19.01.2013 को आवंटन कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से आवंटन निरस्त योग्य हैं। विपक्षी ने अपनी आयु एवं निवास के तथ्यों को छिपाकर उक्त आवंटन कराया अवैध हैं। विपक्षी कृषक नही हैं। जिस समय आवंटन किया गया उस समय वह भूमि रिक्त नही थी, उस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा था। उक्त भूमि आज भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में उपयोग आ रही हैं। वक्त आवंटन विपक्षी विद्यार्थी था। निवेदन हैं कि विपक्षी को ग्राम नाहरगढ में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 19.01.2013 को निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम नाहरगढ तहसील माण्डलगढ की आ.न. 350,558,622 किता 3 रकबा 15.00 बीघा भूमि को विपक्षी को 15 वर्ष की आयु में दिनांक 19.01.2013 को आवंटन कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से आवंटन निरस्त योग्य हैं। विपक्षी ने अपनी आयु एवं निवास के तथ्यों को छिपाकर उक्त आवंटन कराया अवैध हैं। विपक्षी कृषक नही हैं। जिस समय आवंटन किया गया उस समय वह भूमि रिक्त नही

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

थी, उस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा था। उक्त भूमि आज भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में उपयोग आ रही हैं। वक्त आवंटन विपक्षी विद्यार्थी था। निवेदन हैं कि विपक्षी को ग्राम नाहरगढ में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 19.01.2013 को निरस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि उक्त आराजियात के आवंटन निरस्तीकरण हेतु तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा भी नियम 14(4) के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया (23/2020 आ.नि.)। जिसमें प्रार्थी तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार व प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रकरण में विपक्षी जंगलाराम के नाम पर दर्ज आवंटन को निरस्त किया जाकर कब्जेराज लिये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया। अतः पूर्व में दर्जशुदा प्रकरण में संलग्न पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार ग्राम नाहरगढ तहसील माण्डलगढ़ की आ.न. 875/350, 876/558, 877/622 रकबा 15.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। अप्रार्थी स्वयं ने भी आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नही किया हैं, न ही आवंटन के प्रथम 03 वर्ष में विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना कर आवंटनशुदा भूमि पर काश्त की गयी हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणिक दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम नाहरगढ तहसील माण्डलगढ़ की आ.न. 350, 558, 622 रकबा 15.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.10.25

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा